New Delhi, the 29th September, 1989

S.O. 2630.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of tthe said Act shall not apply to the Catholic Syrian Bank Ltd. upto 27th June, 1992 in respect of immovable property of one acre 81 cents held by it under survey No. 198/9 of Chembu village in Vaikom Taluk, Kottayam District, Kerala State.

[No. 15/14/87-B. O. III]

PRAN NATH, Under Secy.

## वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1989

का.आ. 2631:—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात निरीक्षण परिषद कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात निरीक्षण परिषद कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1978 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी। अर्थात् :

"अनुसूची"

[नियम 9 (2) देखिए]

| क्रम सं. | पदों का विवरण | नियुक्ति प्राधिकारी | शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जिन्हें वह (नियम 8 में यथा संलग्न के प्रति निर्देश से) अधिरोपित कर सकेगा। | | अपील प्राधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्राधिकारी | शास्तियां | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी पद | निदेशक | (1) निदेशक,<br>(2) अपर निदेशक<br>(3) संयुक्त निदेशक | संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी<br>(1) से (4) तक<br>उप निदेशक के रैंक तक सभी<br>(1) से (4) तक | अध्यक्ष निदेशक<br>अपर निदेशक |
| 2. | अपर निदेशक | अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए | (1) अध्यक्ष<br>(2) निदेशक | सभी<br>(1) से (4) तक | केन्द्रीय सरकार<br>अध्यक्ष |
| 3. | निदेशक | केन्द्रीय सरकार | (1) केन्द्रीय सरकार<br>(2) अध्यक्ष | सभी<br>(1) से (4) तक | केन्द्रीय सरकार<br>केन्द्रीय सरकार |

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 42 द्वारा भारत के राजपत्र, तारीख 7 जनवरी, 1978 में प्रकाशित की गई थी और का.आ. 1442 तारीख 5 मई, 1979, का० आ० 1020 तारीख 19 अप्रैल, 1980 और का.आ. 556 तारीख 6 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित की गई।

[सं. 3 (27)/89 ई आई एंड ई पी]

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th October, 1989

S.O. :—2631— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Council Employ (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal Rules, 1978, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

[See rule 9(2)]

| Sl. No. | Description of posts | Appointing Authority | Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference Item numbers in rule 8) | | Appellate Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Authority | Penalties | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | All posts upto the rank of Joint Director | Director | (i) Director | All | Chairman |
| | | | (ii) Additional Director | (i) to (iv) upto the rank of Joint Director | Director |
| | | | (iii) Joint Director | (i) to (iv) upto the rank of Deputy Director | Additional Director |
| 2. | Additional Director | Chairman subject to the approval of the Central Government. | (i) Chairman<br>(ii) Director | All<br>(i) to (iv) | Central Government<br>Chairman |
| 3. | Director | Central Government | (i) Central Government<br>(ii) Chairman | All<br>(i) to (iv) | Central Government<br>Central Government |

NOTE : The Principal Notification was published by S.O. 42 in the Gazette of India dated 7th January, 1978 and amended by S.O. 1442 dated 5th May, 1979, S.O. 1020 dated 19th April, 1980 and S. O. 556 dated 6th February, 1982.

[No. 3(27)/89-EI & EP)]

का.आ. 2932.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :

अनुसूची

[नियम 9 (2) देखिए]

| क्रम सं. | पदों का विवरण | नियुक्ति प्राधिकारी | शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जिन्हें वह (नियम 8 में मद संख्या के प्रति निर्देश से) अधिरोपित कर सकेगा। | | अपील प्राधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्राधिकारी | शास्तियां | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी पद | निदेशक | (1) निदेशक<br>(2) अपर निदेशक<br>(3) संयुक्त निदेशक | संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी (1) से (4)<br>उपनिदेशक के रैंक तक (1) से (4) | अध्यक्ष<br>निदेशक<br>अपर निदेशक |
| 2. | अपर निदेशक | अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए। | (1) अध्यक्ष<br>(2) निदेशक | सभी (1) से (4) | केन्द्रीय सरकार<br>अध्यक्ष |

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, तारीख 7 जनवरी, 1978 में का.आ. 43 द्वारा प्रकाशित की गयी थी तथा का.आ. 1443, 5 मई, 1979 का.आ. 2982, 1 सितम्बर, 1978, का.आ. 1019 तारीख 19 अप्रैल, 1980 तथा का.आ. 557 तारीख 6 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित की गयी।

[सं. 3 (27)/89-ई आई एण्ड ई पी]

ए.के. चौधुरी, निदेशक

S.O.2632:—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

[See rule 9(2)]

| Sl. No. | Description of posts | Appointing Authority | Authority Competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference item numbers in rule 8). | | Appellate Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Authority | Penalties | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | All posts upto the rank of Joint Director | Director | (i) Director | All | Chairman |
| | | | (ii) Additional Director | (i) to (iv) upto the rank of Joint Director | Director |
| | | | (iii) Joint Director | (i) to (iv) upto the rank of Deputy Director | Additional Director |
| 2. | Additional Director | Chairman subject to the approval of Central Government | (i) Chairman (ii) Director | All (i) to (iv) | Central Government Chairman |

NOTE : Principal Notification was published by S.O. 43 in the Gazette of India dated 7th January, 1978 and amended by S.O. 1443 of 5th May, 1979, S.O. 2982 of 1st September, 1978, S.O. 1019 dated 19th April, 1980 and S.O. 557 dated 6th February, 1982.

[No. 3(27)89-EI & EP]

A. K. CHAUDHURI, Director.

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1989

का.आ. 2633—मैसर्स स्पाइ कैपेज/एन.के.के./टोटयो कन्सोरटियम मार्फत ह्यात रीजेन्सी होटल, भीकाजी कामा प्लेस रिंग रोड, नई दिल्ली-110066 को पूंजीगत माल के आयात के लिए रु. 3,88,700/ (22,790 अमरीकी डालर और 28,000 पौंड) के मूल्य का एक सी सी पी सं. पी/जे/2097464 दिनांक 4-5-87 दिया गया था। फर्म ने सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है क्योंकि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट प्रति खो अथवा गुम हो गई है। यह भी बताया गया है कि लाइसेंस एयर कारगो (कस्टम हाउस) नई दिल्ली के पास पंजीकृत था और उसका पूर्ण उपयोग किया गया है। सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति पूंजीगत माल के पुनर्निर्यात प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने शपथ अधिकारी दिल्ली के सामने विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/2097464 दिनांक 4-5-87 फर्म से खो या गुम हो गया है। अतः संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9(कक) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, स्पाई कैपेज/एन.के.के./टोटयो कंसोरटियम मार्फत ह्यात रीजेन्सी होटल, भीकाजी कामा प्लेस, रिंग रोड, नई दिल्ली 110066 को जारी किये गये सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/2097464 दिनांक 4-5-87 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3 पार्टी को उक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं. सी.जी.-3/1941/6/86 87]

बी.आर. अहीर, उप मुख्य नियंत्रक, (आयात निर्यात)

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 18th September, 1989

S.O. 2633.—M/s. Spie Capage/NNK/Totyo Consortium, C/o. Hyatt Regency Hotel, Bhikaji Cama Place, ing Road, New Delhi-110066 were granted CCP oN. P/J/2097464. dated 4-5-1987 for Rs. 8,38,700 (US$ 22,790 & £28,000) for import of capital goods. The firm has applied for issue of duplicate copy of Custom Clearance Permit has been lost or misplaced. It has further been stated that the licence has been registered wtih Air Cargo (Custom House), New Delhi and utilised fully. The Duplicate copy of Custom Clearance Permit required is for re-export purpose of the Capital goods.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Oath Commissioner, Delhi. I am accordingly satisfied that the Original Custom Clearance Permit No. P/J/2097464, dated 4-5-1987 has been lost or misplaced by the firm. In Exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said Custom Clearance Permit No. P/J/2097464, dated 4-5-1987 issued to Spie-Canag/NNK/Totyo Consortium C/o Hyatt Regency Hotel, Bhikaji Cama Place, Ring Road, New Delhi-10066 is hereby cancelled.